जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-10.09.2025**

थाना कांधला पुलिस द्वारा "ऑपरेशन सवेरा" अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 350 ग्राम चरस बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक **पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम** हेतु एक विशेष अभियान **"ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर"** चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह** के कुशल निर्देशन, **अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह** के प्रभावी नेतृत्व तथा **क्षेत्राधिकारी कैराना** के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.09.2025 को थाना कांधला पुलिस द्वारा **01 मादक पदार्थ तस्कर नईम पुत्र बाबू निवासी मौहल्ला नई बस्ती सलेमपुर रोड़ थाना कांधला जनपद शामली को अवैध 350 ग्राम चरस** सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कांधला पर मु0अ0सं0 383/2025 धारा 08/20 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त नईम उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

- नईम पुत्र बाबू निवासी मौहल्ला नई बस्ती सलेमपुर रोड़ थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 350 ग्राम चरस

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 04 मोबाईल फोन बरामदः-</u>

ज्ञात हो दिनाँक 06.09.2025 को श्री फारुख पुत्र महबूब निवासी ग्राम नंगला राई थाना कैराना जनपद शामली की मौहल्ला खैल थाना कांधला में खड़ी बुलेरो पिकअप गाड़ी से अज्ञात चोर द्वारा मोबाईल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 चोर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के कब्जे से मौहल्ला खैल से चोरी किया गया मोबाईल सहित कुल 04 मोबाईल फोन बरामद हुये है। बरामदा शेष मोबाईल फोन के बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.नवीन पुत्र महिपाल निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.मौहल्ला खैल से चोरी किया गया मोबाईल सहित कुल 04 मोबाईल फोन बरामद।

थाना झिंझाना पर संचालित साइबर सेवा केन्द्र द्वारा की गयी कार्यवाही में 5,000/- रुपये(शत-प्रतिशत) धनराशि वापस कराई गईः-

ज्ञात हो आवेदक श्री सहंसरपाल पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम ढिंढाली थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा अपने बैंक खाते से 5,000/- रुपये डेबिट हो जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 05.09.2025 को साइबर क्राइम पोर्टल पर आनलाईन शिकायत दर्ज करायी गयी थी।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के निर्देशन में साइबर सेवा केन्द्र थाना झिंझाना द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक को पत्राचार कर आवेदक श्री संहसरपाल उपरोक्त के बैंक खाते में शत-प्रतिशत धनराशि 5,000/- रुपये वापस कराई गई है। आवेदक श्री संहसरपाल द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, साइबर सेवा केन्द्र थाना झिंझाना का आभार व्यक्त किया गया है।

<u>थाना झिंझाना/आदर्शमण्डी/कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 08 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 10.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना/आदर्शमण्डी/कांधला पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 08 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1.शमशाद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम औदरी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.छोटा पुत्र रफी निवासी साजिद नगर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.कादिर पुत्र रफी निवासी साजिद नगर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.प्रमोद पुत्र प्रकाशा निवासी ग्राम कुडाना थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

5.सोनू पुत्र वेदपाल शर्मा निवासी मौहल्ला रेलपार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

6.योगेन्द्र पुत्र त्रिपाल निवासी ग्राम कुडाना थाना कोतवाली जनपद शामली।

7.सत्यपाल सिंह पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामली।

8.शमशाद पुत्र दिन्ना निवासी ग्राम गढ़ीदौलत थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा पशुओं को क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाते 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पशु (04 भैंस, 04 कटरे एवं 02 कटिया) एवं परिवहन में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी बरामदः-</u>

आज दिनांक 09.09.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पशुओं को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाते 02 अभियुक्तों को परिवहन में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.सोमनाथ पुत्र बचनदास निवासी ग्राम लखेड़ थाना आनन्दपुर साहिब जनपद रुपनगर पंजाब।

2.शारुख पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला मौहम्मदीगंज थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.पशु (04 भैंस, 04 कटरे एवं 02 कटिया)।

2.परिवहन में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी नं0 PB07BS6426

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करके 02 मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई सजा व कुल 7,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</u>

1.वर्ष 2022 में अभियुक्त सादिक उर्फ चाकू पुत्र अख्तर उर्फ चून निवासी सराय इलाही थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 333/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 10.09.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी शामली से अभियुक्त 03 वर्ष 01 माह 17 दिवस कारावास की सजा व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2007 में अभियुक्त गोविन्द राम शर्मा पुत्र श्री सुखवीर शर्मा निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 171/2007 धारा 135 विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 10.09.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-04 स्पेशल कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा "ऑपरेशन सवेरा" अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 110 ग्राम चरस बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक **पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम** हेतु एक विशेष अभियान **"ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर"** चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह** के कुशल निर्देशन, **अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह** के प्रभावी नेतृत्व तथा **क्षेत्राधिकारी कैराना** के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.09.2025 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा **01 मादक पदार्थ तस्कर संजय पुत्र ओम सिंह निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 110 ग्राम चरस** सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 449/2025 धारा 08/20 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त संजय उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

- संजय पुत्र ओम सिंह निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 110 ग्राम चरस

थाना कैराना पुलिस व ANTF यूनिट मेरठ की संयुक्त कार्यवाही में "ऑपरेशन सवेरा" अभियान के क्रम में 02 अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 01 किलोग्राम अफीम व 03 किलोग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये), तस्करी में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक **पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम** हेतु एक विशेष अभियान **"ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर"** चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह** के कुशल निर्देशन, **अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह** के प्रभावी नेतृत्व तथा **क्षेत्राधिकारी कैराना** के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.09.2025 को थाना कैराना पुलिस व ANTF यूनिट मेरठ की संयुक्त कार्यवाही में द्वारा **02 अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर 1.सादिक अली पुत्र स्व0 दिलशाद उर्फ सादा निवासी ग्राम पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली 2.संजेश पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम बल्लिया थाना भमौरा जनपद बरेली को अवैध 01 किलोग्राम अफीम व 03 किलोग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय_अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये), तस्करी में प्रयुक्त मोटर साईकिल** सहित गिरफ्तार अभियुक्त सादिक उपरोक्त के घर ग्राम पंजीठ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 554/2025 धारा 8/18/20/29/60 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त सादिक, संजेश उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

घटना का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त संजेश उपरोक्त ने बताया कि वह करीब 02 वर्ष पूर्व सादिक पुत्र दिलाशाद उर्फ सादा से बरेली में मिला था तभी से मेरी व सादिक की जान पहचान है। मैं अक्सर अफीम व चरस लेकर अपने साथी सादिक निवासी ग्राम पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली के घर पर आता रहता हूँ, जहाँ से हम दोनो मादक पदार्थ की बिक्री करने हेतु उत्तराखण्ड व अन्य जगहों पर जाते है। मैं दिनाँक 09.09.2025 को अपनी मोटर साईकिल से अफीम व चरस लेकर निकला था तथा रात्रि में हरिद्वार आकर रुका था फिर आज दिनाँक 10.09.2025 को मैं कैराना आया था जहाँ से मुझे व सादिक को उत्तराखण्ड जाकर अफीम व चरस बेचने के लिये जाना था लेकिन पुलिस ने हमको पकड़ लिया ।**बरामदगी के सम्बन्ध में विशेष टीम गठित कर सप्लायर एवं खपत वाले क्षेत्र व व्यक्तियों की पहचान करने हेतु पूछताछ की जा रही है।**

नाम व पता अभियुक्तः-

- सादिक अली पुत्र स्व0 दिलशाद उर्फ सादा निवासी ग्राम पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली।

- संजेश पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम बल्लिया थाना भमौरा जनपद बरेली।

बरामदगी का विवरण

- 01 किलोग्राम अफीम, 03 किलोग्राम चरस **(अन्तर्राष्ट्रीय_अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये) ।**
- तस्करी में प्रयुक्त मोटर साईकिल यामाहा FZ-S रजि0नं0 UP25EC6230।
- नगदी 2100/- रुपये व पैनकार्ड।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI